न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 32/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. रामचरण पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. रामकन्या पुत्री लक्ष्मीनारायण
3. राजेश बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण
4. रतनबाई बेवा लक्ष्मीनारायण
5. हरनारायण पुत्र किशनलाल जातिगण माली निवासीगण पलायथा तहसील अन्ता

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 16.08.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 1094 रकबा 0.14 है. किस्म बारानी । वाके ग्राम पलायथा तहसील–अन्ता राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2010–2029 में खसरा नम्बर 792 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा किस्म नाला रहे है, उक्त भूमि खसरा नंबर 1412/792 रकबा 16 बिस्वा किस्म तीर दिनांक 10.04.1966 को आवंटी लक्ष्मीनारायण, हरनारायण पुत्रगण किशनलाल जाति माली को आवंटित होने से नामा. नं. 402 से गैर खातेदारी एवं नामा. सं. 981 से खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नि[illegible] है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी[illegible]ख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के [illegible] हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

जिला कलेक्टर
बारां (राज.)

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 06.05.2015 को उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषकगण ने उपस्थिति दर्ज कराकर वकालतनामा एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा, परन्तु दिनांक 13.12.2018 तक वकालतनामा एवं जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकरं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण आज दिनांक तक भी उपस्थित नही हुए।

3— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

4— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 के पिता व पति लक्ष्मीनारायण को तथा अप्रार्थी क्रम 5 को ग्राम पलायथा की आराजी खसरा नम्बर 1412/792 रकबा 16 बिस्वा किस्म तीर दिनांक 10.04.1966 को आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म तीर थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 1094 रकबा 0.14 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। जिसकी किस्म बारानी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरूद्ध आंवटन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को तीर दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन [illegible]। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2010–29 [illegible] नम्बर 792 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा किस्म नाला खाता [illegible] अप्रार्थीगण को खसरा नंबर 1412/792 रकबा 16 बिस्वा किस्म तीर का आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.14 है0 बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)